न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—06/2017 (2017/00250) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—बरजी पत्नि भैरा बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—सोहन पिता दल्ला बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—शंकर पिता दल्ला बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3—चौथु पिता दल्ला बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4—कंकु पिता दल्ला बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5—सायरी पिता दल्ला बलाई निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन समिति दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 11.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रशासन आपके द्वारा अभियान पंचायत मुख्यालय आशाहोली पर शिविर प्रभारी अधिकारी महोदय के समक्ष दिनांक 20.12.2004 को प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम ग्राम नाहरी में साबिक आराजी नम्बर 1137/3 रकबा 3 बीघा भुमि दर्ज रेकार्ड थी लेकिन नक्शे में तरमीम नही होने से प्रार्थीया को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा नवीन नम्बर 2656, 2657, 2658, 2659, 2660 बनाये गये किन्तु इन नम्बरो को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया साबिक नम्बर 1137 में आवंटन से ही आज दिनांक तक मौके पर काबिज होकर काश्त कर रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया के कब्जे शुदा खसरा नम्बरान को बिलानाम से खातेदारी में दर्ज कराने का निवेदन किया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के न्यायालय दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीया क प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.06.2005 को स्वीकार कर ग्राम नाहरी के आराजी नम्बर 2656, 2657, 2658, 2659, 2660 कुल किता 5 रकबा 0.73 है0 भूमि प्रार्थीया के खातेदारी हक में करने का आदेश दिया एवं प्रार्थीया के नाम दर्ज आराजी नम्बर 2211 रकबा 0.10 है0 भूमि को प्रार्थीया के खाते से हटाई जाने का आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड दुल्हेपुरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल एवं व्यवस्थापक शंकरलाल निवासी दुल्हेपुरा के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसके अपील संख्या 08/एलआर/2006 दर्ज होकर दिनांक 22.01.2013 को अपील स्वीकार कर प्रकरण इस न्यायालय को प्रति प्रेषित कर दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश प्रदान करने के निर्देश होने से प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया इसी दौरान प्रार्थीया बरजी बाई के विरूद्व अदम हाजरी और अदम पैरवी में दिनांक 23.12.2015 को प्रकरण खारीज कर दिया एवं इसी दौरान प्रार्थीया बरजी बाई का स्वर्गवास होने से उसके विधिक वारीसान द्वारा आदेश 9 नियम 9 एवं आदेश 22 नियम 3 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर निवदेन किया कि प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर मृतक बरजी के विधिक वारीसान को कायम मुकाम बनाया जावे। इस पर न्यायालय द्वारा विपक्षी को प्रार्थना पत्र की प्रति देते हुए दोनो पक्षो को

सुना और दिनांक 23.01.2020 को प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर बरजी के विधिक वारीसान को रेकार्ड पर लिया गया।

मूल प्रकरण धारा 136 के तहत् है प्रार्थीया साबिक सेटलमेन्ट के दौरान खातेदार थी और नवीन भू प्रबन्ध के दौरान रकबा कम कर देने से प्रकरण में उभयपक्ष की मांग पर तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ता को कराया गया उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवदेन किया कि प्रार्थीया के नाम पर साबिक रेकार्ड में जितनी भूमि दर्ज रेकार्ड थी उतने ही रकबे पर मौके पर प्रार्थीया के वारीसान कब्जा है किन्तु भू प्रबंन्ध के दौरान उक्त रकबा बिलानाम कर देने से विपक्षी दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन समिति द्वारा आराजी नम्बर 2659 व 2660 का आंवटन प्रस्ताव भिजवाया गया जिस पर जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से उप शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) जयपुर के पत्र क्रमांकः प. 2 (162)/राज/3/5 दिनांक 29.06.2005 के जरिये राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 एवं अधिसूचना दिनांक 13.02.2001 के अन्तर्गत बाजार दर पर कीमतन आवंटन किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई जिसके आधार पर विपक्षी द्वारा प्रार्थीया को मौके से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जिसकी जानकारी करने पर प्रार्थीया के द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा पुनः पत्र कंमाक एफ 12–3 (ब) (2) आरए/2005 दिनांक 27.10.2005 को पुनः उपशासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) जयपुर को पत्र प्रेषित किया कि दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समित लिमिटेड दुल्हेपुरा को भवन निमार्ण हेतु ग्राम दुल्हेपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 2659 व 2660 रकबा 0.17 है0 भूमि श्रीमान् द्वारा 29.06.2005 को भूमि आंवटन की स्वीकृती प्रदान की गई थी उक्त भूमि पूर्व में श्रीमती बरजी बेवा भैरू बलाई निवासी नाहरी के पति स्वर्गीय भैरू आत्मज दल्ला बलाई के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी जिसे सेटलमेन्ट के दौरान बिलानाम कर दिया गया व उक्त भूमि बिलानाम होने से दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति को आवंटन हेतु प्रस्तावित कर दी गई। उक्त मामले में इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही की जाकर भैरू बलाई की बेवा श्रीमती बरजी के नाम करने हेतु सम्बधित न्यायालय से निर्णय हो चुका है सहकारी समिति को आवंटन हेतु दी गई स्वीकृती को निरस्त कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसकी प्रति पेश की गई जो एनक्चर 1 है एवं इसी के साथ तहसीलदार रायपुर को भी दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति को ग्राम नाहरी में स्थित आराजी नम्बर 2659 व 2660 के आवंटन के बजाय अन्य भूमि का प्रस्ताव भिजवाने का पत्र लिखा गया जिसकी प्रति पेश की गई जो एनक्चर 2 है। पटवारी हल्का नाहरी के द्वारा ग्राम नाहरी के खसरा नम्बर 2659 व 2660 के बारे में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने से उनके विरूद्व कार्यवाही बाबत् भी प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख विभाग को लिखा जिसकी प्रति पेश की गई जो एनक्चर 3 है इसके साथ जिला कलक्टर महोदय द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर एवं तहसीलदार रायपुर को श्रीमती बरजी बेवा भैरू बलाई निवासी नाहरी के खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 2656, 2657, 2658, 2659, 2660 मे से आराजी नम्बर 2659 व 2660 दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति दुल्हेपुरा को आवंटन नही करने बाबत् पेश किया जो एनक्चर 5 है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रकरण में विवदित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि थी जिसको भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान बिलानाम आराजी कर देने से पुनः प्रार्थीया के खाते में दर्ज कराने का निवेदन किया गया।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के द्वारा दिनांक 29.06.2005 को दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड दुल्हेपुरा को उनके भवन निमार्ण हेतु आवंटन किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई है इसके अलावा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 2656 से 2660 तक आराजी नम्बर 1137/3 से नही बने है भूमि सरकार के द्वारा आवंटित की गई है आराजी नम्बर 2659 और 2660 बिलानाम दर्ज होने से समिति

को आंवटन हुई है और विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में आरआरटी 2017 (2) 1264 की प्रति पेश की गई जो शामिल पत्रावली है सी के साथ प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2005 को प्रिंटेड बताते हुए और किसी प्रकार की सहायता चहाने का विवरण दर्ज नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का आवेदन खारीज करते हुए भूमि दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड दुल्हेपुरा के नाम दर्ज कराना फरमावे।

मैने दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर गहनता से अध्ययन करने से इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह उभरकर आया कि प्रार्थीया के नाम साबिक आराजी नम्बर 1137/3 रकबा 3 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी ओर उस भूमि को नवीन भू प्रबन्ध के दौरान बिलानाम दर्ज कर देने से दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड दुल्हेपुरा द्वारा दुग्ध उत्पादन हेतु आवंटन चाही गई ओर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा भूमि दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड दुल्हेपुरा को आवंटन करने हेतु उप शासन सचिव महोदय जयपुर को दिनांक 25.02.2005 को भूमि आवंटन करने हेतु स्वीकृती प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप 3) विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 29.06.2005 को राजकीय नियमो तहत् एवं अधिसूचना दिनांक 13.02.2001 के अन्तर्गत डीएलसी द्वारा निर्धारित बाजार दर किमतन आवंटन किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई। विपक्षी द्वारा इस प्रकरण में आवंटन आदेश या जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत नही की गई इसके विरूद्व इस प्रकरण में वर्णित भूमि बाबत् प्रार्थीया की ओर से वर्ष 1999 से न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराये गये है जो प्रकरण विचाराधीन के दौरान भूमि आवटंन हेतु विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विवादित आराजी नम्बर 2659 व 2660 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम होने से बिना मौका जांच किये तत्कालीन पटवारी द्वारा भूमि आवंटन हेतु रिपोर्ट पेश कर दी गई थी जबकि भूमि से सम्बधित न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर इस प्रकार आंवटन हेतु विवादित भूमि प्रस्तावित नही की जानी चाहिये थी भूमि आवंटन से सम्बधित कार्यवाही की जानकारी प्रार्थीया को होने पर प्रार्थीया श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पुनः जिला कलक्टर महोदय द्वारा यह माना कि विवादित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है और इसी आधार पर दिनांक 17.10.2005 को उप शासन सचिव महोदय राजस्व विभाग जयपुर, तहसीलदार रायपुर, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा को लिखा गया जो एनक्चर 1 से 3 है और इसके साथ ही तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर एवं तहसीलदार रायपुर को भी आराजी नम्बर 2659, 2660 को आवंटन नही करने बाबत् लिखा गया है तत्कालीन पटवारी द्वारा भी विवादित भूमि को दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति को भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई जिस पर पटवारी को दोषी माना गया है।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त को पढ़ा एवं मनन किया तो पाया कि प्रस्तुत दृष्टान्त में वर्णित तथ्य अलग है एवं इस प्रकरण के तथ्य अलग है इस प्रकरण में विवादित खसरा नम्बर 2659 व 2660 विपक्षी के नाम दर्ज नही है जिसके अनुसार उक्त दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होता हैं। एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 15.06.2005 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रिटेड बताते हुए दादरसी के कॉलम को रिक्त बताया गया जो स्वीकार नही है उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीया द्वारा दिनांक 20.12.2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो संलग्न है जिसमें स्पष्ट रूप से प्रार्थीया द्वारा सहायता/दादरसी का अंकन किया हुआ है जिससे विपक्षी अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नही है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह अंकन किया गया कि प्रार्थीया बरजी के वारीसान की सामलाती खातेदारी आराजियात खसरा नम्बर 2217 से 2221 एवं 2661 से 2663 के साथ एक ही चक में खसरा नम्बर 2656 रकबा 0.13 है0 2657 रकबा 0.24 है0 2658 रकबा 0.19 है0 मे से 0.11 है0, 2659 रकबा 0.04 है0, 2660 रकबा 0.13 है0, 2492 रकबा 5.62 है0, मे से 0.08 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.73 है0 भूमि पर प्रार्थीया के वारीसान के कब्जे मे है। उक्त मौका रिपोर्ट में अकिंत आराजी नम्बर 2492 मे रकबा 5.62 है0 भूमि गैर मुमकिन आबादी है जो ग्राम पंचायत नाहरी के नाम दर्ज रेकार्ड है। और शेष रकबा बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति को आवंटन के दौरान राजस्व रेकार्ड में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि को बिलानाम कर देने से समिति द्वारा उक्त भूमि को आंवटन कराने हेतु आवेदन किया गया जबकि मूल रूप से उक्त खसरा नम्बर प्रार्थीया के साबिक खातेदारी भूमि के मूल आराजी नम्बर 1137 के ही भाग है। प्रार्थीया के वारीसान का मौके पर आराजी नम्बर 2656, 2657, 2658, 2659, 2660 पर कब्जा 0.65 है0 भूमि पर कब्जा है जो यह नम्बर प्रार्थीया की साबिक मुल आराजी नम्बर 1137 से बनना भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट प्रमाणित है एवं विपक्षी द्वारा अपने पक्ष में आवंटन या जमाबन्दी का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा उक्त दोनो खसरा नम्बरान को विपक्षी के नाम आवंटन करने की जिस प्रकार सिफारिश की गई थी उसी दौरान प्रार्थीया द्वारा विवादित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का भाग होने की जानकारी कराने पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा प्रार्थीया की बात को स्वीकार करते हुए प्रकरण में वर्णित विवादित भूमि आराजी नम्बर 2659 व 2660 को आवंटन नही करने बाबत् पुनः उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार रायपुर को पत्र जारी किया गया इसके साथ ही तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के प्रकरण संख्या 68/2005 से भी प्रार्थीया को आराजी नम्बर 2656, 2657, 2658, 2659, 2660 को खातेदारी भूमि मानते हुए दिनांक 15.06.2005 को निर्णय पारित किया गया था। प्रार्थीया की साबिक मूल आराजी नम्बर 1137 से खसरा नम्बर 2656, 2657, 2658, 2659, 2660 बनना प्रमाणित होने से उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया के साबिक आराजी नम्बर 1137/3 रकबा 3 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 2656 रकबा 0.13 है0, 2657 रकबा 0.24 है0, 2658 रकबा 0.19 है0 मे से 0.11 है0, 2659 रकबा 0.04 है0, 2660 रकबा 0.13 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि जो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का भाग होकर प्रार्थीया के वारीसान कब्जे मे है जिसे राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया के विधिक वारीसान के नाम दर्ज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11-08-2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
उपखण्ड अधिकारी रायपुर
जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—06/2017 (2017/00250) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—बरजी पत्नि भैरा बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—सोहन पिता दल्ला बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—शंकर पिता दल्ला बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3—चौथु पिता दल्ला बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4—कंकु पिता दल्ला बलाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5—सायरी पिता दल्ला बलाई निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—दुल्हेपुरा दुग्ध उत्पादन समिति दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीया के साबिक आराजी नम्बर 1137/3 रकबा 3 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 2656 रकबा 0.13 है0, 2657 रकबा 0.24 है0, 2658 रकबा 0.19 है0 मे से 0.11 है0, 2659 रकबा 0.04 है0, 2660 रकबा 0.13 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि जो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का भाग होकर प्रार्थीया के वारीसान कब्जे मे है जिसे राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया के विधिक वारीसान के नाम दर्ज की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 11.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

11.08.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
उपखण्ड अधिकारी रायपुर
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.24 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: